फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री अमरचन्द **विपक्षी : श्री रामु**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 04/20**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प बडियार में बाद दोपहर उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन करने पर तलब की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर उभय पक्ष को पाबंद किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में दिनांक 02.09.2020 से मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया हुआ हैं। प्रकरण में आज अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है, जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित हैं ताकि प्रकरण में निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 1373 से 1385, 1387, 1388, 1389, 2002/1184 किता 17 रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 20:05:06 IST
Reason: SelfAttested